उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

मो0 छोटु अंसारी
बनाम
सरकार

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– 21/2020–21

वाद का प्रकार :– विविध अपील (Misc.Appeal)

मो0 छोटु अंसारी पिता–मो0–हुसैन अंसारी ग्राम–बनारी थाना–विशुनपुर जिला–गुमला के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला के आदेश ज्ञापांक–252/खाद्य दिनांक– 11.04.2020 में उनके जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति सं0–02/1993 को रद्द किया गया है। उससे विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

अपील सुनवाई हेतु स्वीकृत करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला से विषयगत मामला में तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग की गई उनसे प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेखबद्व है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि

1. बनारी पंचायत का जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत में अनुज्ञप्ति धारक हूँ जिसका अनुज्ञप्ति सं0–02/93 है।
2. उपरोक्त अनुज्ञप्ति के आधार पर 1993 से मै जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यानों का उठाव एवं लाभुकों में वितरण सरकार द्वारा निर्देशित आदेशों के अनुसार पालन करता आ रहा हूँ तथा सरकारी आदेश का पालन पूर्णतः मै करता आया हूँ मेरे विरुद्ध कभी भी कोई शिकायत नही आयी है और भविष्य में भी मै सरकारी आदेशों का पालन करता रहूँगा कभी भी शिकायत का मौका नही दूँगा।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा बिना किसी जॉच के मेरे अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया था पंचायत में कोई भी कार्ड धारियों शिकायत नही किये थे गांव के कुछ दबंग नेतागण के प्रभाव में अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है।
4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला के ज्ञापांक–64/खाद्य दिनांक–05.02.2020 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग के बाद दिनांक–07.02.2020 को लिखित रुप में जमा कर दिया गया।
5. दिनांक–07.02.2020 को दाखिल स्पष्टीकरण के पश्चात जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अपने ज्ञापांक–118/खाद्य दिनांक–22.02.2020 के माध्यम से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से जॉच कर रिर्पोट मांगी गई मांग के आधार पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पदाधिकारी ने गांव पंचायत में जाकर जांच कर जांच रिपोर्ट पत्रांक–17 दिनांक–29.02.2020 जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष जमा किये तथा अनुज्ञप्ति सं0–2/93 को निलम्बन मुक्त करने की अनुशसा भी किये।
6. जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला ने ज्ञापांक–187/खाद्य0 दिनांक–24.03.2020 के द्वारा अनुज्ञप्ति सं0–2/93 की चेतावनी के साथ निलम्बन मुक्त कर दिये तथा निर्देश दिया गया कि खाद्यान का उठाव कर किसी सरकारी कर्मी/जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में खाद्यान का वितरण करें।
7. अपीलार्थी अनुज्ञप्ति निलम्बन मुक्त होने कि पश्चात दिनांक–29.03.2020 को खाद्यान का

Scanned with CamScanner

उठाव किये तथा दिनांक–30.03.2020 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विशुनपुर की उपस्थिति में लाभुको को खाद्यान का वितरण किये और रजिस्टर में दर्ज किये। जिस पर सही पाकर मार्केटिंग पदाधिकारी के द्वारा अपना हस्ताक्षर भी किया गया।

8. दिनांक–01.04.2020 को अपीलार्थी कोरोना पॉजिटिव हो गया डॉक्टर के निर्देशानुसार मै होम कोरेनटाईन में 14 दिन के लिए चला गया पुन दिनांक–15.04.2020 को डॉक्टर के निर्देशानुसार मै फिर पुन 14 दिनों के लिए होम कोरेनटाईन में रहा इस प्रकार मै दिनांक–01.04.2020 से कुल 28 दिनों तक होम कोरेनटाईन में रहा।

9. उनके द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक–29.03.2020 खाद्यान का उठाव कर दिनांक–30.03.2020 को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष वितरण किया गया उसके बाद से मेरे द्वारा कोई खाद्यान का उठाव नही किया गया है। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया की अनुज्ञप्ति को रद्द करने के पूर्व दुकान का कोई जॉच नही किया गया है और ना ही पंजी को चेक किया गया।

उनके द्वारा दुकान का अनुज्ञप्ति सं0–2/93 को पुनः बहाल हेतु अनुरोध किया गया है।

सहायक लोक अभियोजक गुमला के द्वारा बताया गया कि विहित प्राधिकारी द्वारा विषयगत मामले में विधि अनुसार उचित आदेश पारित किया गया है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला के द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी विशुनपुर से प्राप्त प्रतिवेदन में कार्डधारियों को 04 कि0 ग्रा0 से अधिकतम् 10 कि0ग्रा0 कटौती कर देने की संपुष्टि की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं मानते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के द्वारा दिनांक–11.04.2020 को अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी के उपरोक्त विवेचित तथ्यों सहायक लोक अभियोजक,गुमला के वैधिक मंतव्य एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के समीक्षोपरान्त ज्ञात होता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई गंभीर आरोप नही है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को पुर्नबहाल करना यथोचित प्रतीत होता है। तथापि उनके द्वारा खाद्यान का उठाव कर निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान का वितरण करना उनके कार्य प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

अतः इस चेतावनी के साथ अपील स्वीकृत किया जाता है कि Essential Commodities का भुगतान संबंधित कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा में किया जाय एवं भविष्य में अपीलार्थी के द्वारा Bihar Trade Article (License Unification Order 1984) के अनुसार जन वितरण प्रणाली दूकान के संचालन में किसी प्रकार का शिथिलता या लापरवाही बरतने अथवा उक्त आदेश के शर्त्तों का उल्लघन किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी झारखण्ड लक्ष्य जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 में निहित प्रावधानानुसार अनुज्ञप्ति नियमानुसार रद्द करने हेतु प्राधिकृत होंगे।

कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को उपलब्ध करा दे।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by SHISHIR KUMAR SINHA
Date: 2022.02.08 13:38:06 +05:30
Location: 192.168.1.42

उपायुक्त,
गुमला

8.2.22

उपायुक्त,
गुमला

Scanned with CamScanner